

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

सीन अधिकारी :- रेखा गुर्जर, आर0ए0एस0

मा संख्या :- 140/2026 प्र पत्र

श्री. राजेश शंकर जाधव मोदी कि. सौ. इ. स. - करेडा

प्रार्थी

बनाम

श्री. राजेश शंकर जाधव मोदी कि. सौ. इ. स. - करेडा

विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 6/4/26

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत आवेदन किया कि ग्राम बापूवाड़ा पटवार हल्का नवराड़ा तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त की खाता संख्या 703, 731, 740 आराजी नम्बर 703, 731, 740

कुलकिता 3 रकबा 1.8084

हैक्टयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 6/4/26 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को फनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी का अर्देशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते सर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बापूवाड़ा पटवार हल्का नवराड़ा तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या 703, 731, 740 आराजी नम्बर 703, 731, 740

कुलकिता 3 रकबा 1.8084

हैक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु अभिलेख निरीक्षक राजेश को 750/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान जूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर ढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि।

उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला भीलवाडा

पे :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार ढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला भीलवाडा